

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर
क्रमांक: अराज0/टी.सी./2026/436 दिनांक: 10/06/2026

—::आदेश::—

निदेशालय के आदेश क्रमांक 39 दिनांक 15.01.2025 के क्रम संख्या 189 पर श्रीमती रेखा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का उप स्वा केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र दानालपुर, श्रीमहावीरजी, करौली से स्थानान्तरण/पदस्थापन पीएचसी, परौआ, खण्ड सैपड, जिला धौलपुर किया गया था। माननीय राजस्थान अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 4688/2025 के निर्णय दिनांक 19.11.2025 की पालना में कार्मिका को नव पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त किया गया में नवीन पदस्थापन स्थान पीएचसी, परौआ, खण्ड सैपड, जिला धौलपुर में पद रिक्त नहीं होने कारण नवीन पदस्थापन पीएचसी, तसीमों, खण्ड सैपड, जिला धौलपुर संशोधित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
दिनांक: 10/06/2026

क्रमांक: अराज0/टी.सी./2026/436

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशेषाधिकारी, (पी.सी.एस.) मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 138908 दिनांक 09.06.2026 के क्रम में।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 478 दिनांक 08.06.2026 में दिये गये निर्देशों की पालना में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज0 जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर को उनके पत्रांक 229 दिनांक 16.01.2026 के क्रम में।
6. संबंधित कार्मिक को पालनार्थ।
7. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधित को ई-मेल करें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर